

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935

No. 491]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 573(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के संगरूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-71 के 181.805 कि.मी. से 238.695 कि.मी. तक के भूखण्ड (संगरूर-पातडा-खनौरी सड़क से पंजाब/हरियाणा सीमा सेक्शन) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन का बनाना आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, संगरूर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के संगरूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 181.805 कि.मी. से 238.695 कि.मी. तक (संगरूर-पातड़ा-खनौरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम. संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
	संगरूर	संगरूर	खेड़ी	8// 4/2	निजी	कृषि	0.1012

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/4/2013/एनएचडीपी-IVA]

वी. कृष्णस्वामी, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 573(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 71, in the stretch of land from km 181.805 to km. 238.695 (Sangrur - Patran Khanauri Road upto Punjab/Haryana Border Section) in the district of Sangrur in the State of Punjab, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days of the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Magistrate, Sangrur in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 181.805 to km. 238.695 (Sangrur -Patran Khanauri Road upto Punjab/Haryana Border section) of the National Highway No. 71 in Sangrur District in the State of Punjab

S. No.	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in Hec.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sangrur	Sangrur	Kheri	8// 4/2	Pvt.	Ag.	0.1012

[F. No. RW/NH-37014/04/2013/NHDP-IVA]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.